संख्या-6/एफ1-303/2019 श्र0सं0-

बिहार सरकार,

<u>श्रम संसाधन विभाग</u>

प्रेषक

गोपाल मीणा,

श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

उप श्रमायुक्त, बेगुसराय/दरभंगा/गया/मुजफ्फरपुर/मुंगेर/पटना/भागलपुर ।

सहायक श्रमायुक्त, डालमियानगर(रोहतास)/पूर्णियाँ मुख्यालय कटिहार/सहरसा/सारण (छपरा)/बेतिया।

श्रम अधीक्षक, औरंगाबाद/अररिया-01/अरवल/भभुआ(कैमूर)/भोजपुर(आरा)-01/ बांका/बक्सर/मोतिहारी-01/गोपालगंज/जहानाबाद/जमुई/खगड़िया/किशनगंज/ लखीसराय/मधुबनी-01/मधेपुरा/नालन्दा(बिहारशरीफ)-01/नवादा/पूर्णियाँ-01/ शिवहर/शेखपुरा/सीतामढ़ी-01/सुपौल/समस्तीपुर-01/सीवान-01/वैशाली(हाजीपुर) ।

पटना, दिनांक-

विषयः- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-103-सामान्य श्रम कल्याण-माँग सं०-26-उप शीर्ष- 0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढ़ीकरण (विपत्र कोड-26-2230011030103) के अन्तर्गत CFMS Software से निर्गत किये गये आवंटनादेश के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय एवं योजना मद में प्राप्त बजट उपबंध के विरूद्ध आवंटन CFMS Software से किया जा रहा है। CFMS Software में Text Entry की व्यवस्था नहीं रहने के कारण ***राज्य योजना*** बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढ़ीकरण (विपत्र कोड-26-2230011030103) ***के अन्तर्गत* CFMS Software *से निर्गत किये गये* CFMS Order No.- 2062 dated- 31-05-19, CFMS Order No.- 2165 dated- 04-06-19** एवं **CFMS Order No.- 2268 dated- 07-06-19** से आवंटित की गयी राशि के निकासी करने हेतु निम्न बातों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय-

1. **CFMS Order No.- 2062 dated- 31-05-19, CFMS Order No.- 2165 dated- 04-06-19** एवं **CFMS Order No.- 2268 dated- 07-06-19** से आवंटित की गयी राशि सभी 38 जिलों में माह के प्रत्येक कार्यदिवस हेतु <u>जिला स्तर पर गठित धावा दल के सघन निरीक्षण</u> एवं बाल श्रमिकों के विमुक्ति के लिए, जिले के संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को प्रति जिला एक संविदा वाहन हेतु एवं <u>12 जून के अवसर पर बाल श्रम उन्मूलन हेतु सेमिनार, सिमपोजियम, जागरूकता आदि</u> हेतु राशि आवंटित की गयी है।

i) <u>***विषयशीर्ष-0103.13.10 भाड़े की गाडी का भुगतान (Hire Car)***</u> से आवंटित की गयी राशि से सभी 38 जिलों के संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी माह के प्रत्येक कार्यदिवस हेतु <u>***जिला स्तर पर गठित धावा दल के सघन निरीक्षण एवं बाल श्रमिकों के विमुक्ति के लिए,***</u> <u>प्रति कार्यालय X 1200/-प्रतिदिन X 26 दिन (अधिकतम रू. 31,200/- मासिक) की दर पर</u> नियमानुसार निविदा प्राप्त कर वाहन की व्यवस्था करेंगें।

वाहन का उपभोग करने वाले सभी पदाधिकारी एक लॉग बुक का संधारण करेगें तथा वाहन का उपयोग किस कार्य के लिए हुआ है इस लॉग बुक में प्रतिदिन अंकित करेंगें। इस लॉग बुक के आधार पर ही वाहन पर व्यय हुए राशि का उपयोगिता मासिक रूप से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेगें तथा वाहन का उपभोग अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत ही करेंगें।

ii) ***विषयशीर्ष-0103.20.02 कॉन्फ्रेन्स, कार्यशाला, सेमिनार*** से आवंटित की गयी राशि से सभी 38 जिलों के संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी 12 जून के अवसर पर बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत बाल श्रम उन्मूलन हेतु सेमिनार, सिमपोजियम, जागरूकता हेतु राशि का उपयोग करेंगें ।

2. उपरोक्त सभी आवंटनादेश बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत निर्गत किये गये योजना की स्वीकृति से संबंधित स्वीकृत्यादेश संख्या-2284 दिनांक-29.05.19 में निहित शर्त्तो के अधीन है।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-256/वि0 दिनांक-26.02.19, एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।

4. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा।

5. आवंटित राशि से सभी प्रकार की विपत्रों की जॉच नियमानुसार करके ही भुगतान सुनिश्चित किया जाय। भुगतान में किसी भी प्रकार की अनियमितता की सारी जिम्मेवारी आप पर होगी।

6. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना आवश्यक टी०भी० नं० तथा तिथि के साथ इस विभाग को विहित प्रपत्र में निकासी के अगले माह के 10 तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।

7. सभी आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।

ह०/-

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार ।

ज्ञापांक-*6/एफ1-303/2019* श्र0सं0- 2648 पटना, दिनांक- 14.6.19

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग/बजट पदाधिकारी, वित विभाग/***आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/*** सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा-01(श्रम पक्ष)/व्यय विवरणी शाखा, प्रशाखा-06(श्रम पक्ष) को सूचनार्थ प्रेषित ।

14/6/19

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार ।